

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

// आदेश //

भोपाल दिनांक:

मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 12-11/2010-11/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 11.09.2009 द्वारा प्रदेश में विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत दवा नीति वर्ष 2009 की मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदन दिया गया है।

2/- प्रस्तावित दवा नीति 2009 के तहत तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेस कारपोरेशन चेन्नई के माध्यम से निविदा कर निर्धारित की गई दरों पर विकेन्द्रीकृत व्यवस्था दिनांक 01.08.2010 से लागू की जाती है। प्रदायकर्ता इकाई से सीधे क्रय करने के लिए सक्षम अधिकारी क्रय हेतु आदेश दे सकते हैं।

3/- दवाओं/सामग्री की निर्धारित दरें समय-समय पर संचालक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा सूचित की जाएंगी।

(जे. एन. कंसोटिया)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक: 29-7-10

पृ.क्रमांक औ.प्र./2010-11/211

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन सामान्य विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार मंत्रालय भोपाल।
4. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा एवं गैस राहत तथा पुर्नवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
6. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
8. संचालक चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश सतपुडा भवन भोपाल।
9. संचालक गैस राहत, संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल।
10. नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश भोपाल।
11. प्रबंध संचालक लघु उद्योग निगम, मध्यप्रदेश भोपाल।
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें/समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
13. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
14. समस्त अधीक्षक विशेष अस्पताल, मध्यप्रदेश।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

29/7/10